कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0/युगलपीठ/ — /2026 दि0 लखनऊः 15 जून, 2026

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक 473/2026 दिनांक 08.05.2026 के द्वारा माह जून, 2026 में युगलपीठ का गठन **जनपद लखनऊ में दिनांक 15.06.2026 से 17.06.2026** तक किया गया है। उपरोक्त युगलपीठ में न्यायिक सदस्य के रूप में सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1 लखनऊ को नामित किया गया है।

सदस्य, पीठ–1 लखनऊ ने अपने पोर्टल पर दिनांक 15.06.2026 से 25.06.2026 तक उपार्जित अवकाश आवेदित करने के कारण आदेशांक–665 दिनांक 12.06.2026 द्वारा युगलपीठ दिनांक 15.06.2026 से 17.06.2026 तक निरस्त कर दी गयी है। चूंकि सदस्य पीठ–2 लखनऊ अवकाश पर नहीं है इसलिए उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए **दिनांक 16.06.2026 से 17.06.2026** तक युगल पीठ गठित की जाती हैं जिसमें न्यायिक सदस्य पीठ–1 लखनऊ के स्थान पर अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0 लखनऊ को नामित किया जाता है। गठित युगल पीठ कार्यक्रम की शेष स्थिति यथावत रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0/12.06.2026
(रमेश चन्द–1)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0/यु0पी0/666/2026 दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–1, 2 व 3 लखनऊ।

2– वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण उ0प्र0, लखनऊ।

3– प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ सहायक (विवरण/वेब अधिकारी/नाजिर, मुख्यालय।

आज्ञा से,

प्र0निबंधक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Scanned with OKEN Scanner